TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (II) DATED THE 10th Sept. , 1999

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

*****

New Delhi, dated the 10th Sept, 1999

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 15 - (a) Survey, Medical camps, polio operation and help through aids and appliances for disabled; (b) Educational help to disabled boys and girls; (c) Instrumental/trade help for their self-reliant and self-employment training; (d) Building construction for disabled trainees hostel and home for aged disabled; in whole of Gujarat; by Society for the Training and Vocational Rehabilitation of the Disabled, Junigadhi, Near Municipal Quarters, Mill Road, Vadodara-390006, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-98;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of - (a) Survey, Medical camps, polio operation and help through aids and appliances for disabled; (b) Educational help to disabled boys and girls; (c) Instrumental/trade help for their self-reliant and self-employment training; (d) Building construction for disabled trainees hostel and home for aged disabled; in whole of Gujarat; which are being carried out by Society for the Training and Vocational Rehabilitation of the Disabled, Junigadhi, Near Municipal Quarters, Mill Road, Vadodara-390006, Gujarat, at the estimated cost of rupees thirty four lakhs ninety seven thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of one year in relation to assessment year 2000-2001.

(POMELA B. PRASAD)
Director(NC)

No. 11076

F.No. NC-91/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में
दिनांक 10 सितम्बर, 1999 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 सित, 1999

अधिसूचना

सां0 आ0...... (अ0) जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई, 1996 को जारी की गई अधिसूचना सं0 सां0 आ0 469 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सोसायटी फार दी ट्रेनिंग एण्ड वोकेशनल रीहैबिलीटेशन आफ दी डिसएबल्ड , जूनीगढ़ी, म्यूनिसिपल क्वार्टस के निकट, मिल रोड वडोदरा-390006, गुजरात द्वारा सम्पूर्ण गुजरात में (क) अपंगों हेतु सामग्री एवं उपकरण के द्वारा सर्वेक्षण,चिकित्सा शिविरों, पोलियो अभियान एवं सहायता (ख) अपंग बालकों एवं बालिकाओं को शैक्षणिक सहायता (ग) उनके स्वालम्बन तथा स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए उपकरणात्मक /ट्रेड सहायता (घ) अपंग प्रशिक्षणार्थी छात्रावास तथा वृद्ध अपंगों के लिए भवन निर्माण, की स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले तीन वर्षो की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं015 पर विनिर्दिष्ट किया था,.

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है,.

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ख के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है,

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोसायटी फार दी ट्रेनिंग एण्ड वोकेशनल रीहैबिलीटेशन आफ दी डिसएबल्ड , जूनीगढ़ी, म्यूनिसिपल क्वार्टस के निकट, मिल रोड वडोदरा-390006, गुजरात की सम्पूर्ण गुजरात मेंचलाई जा रही (क) अपंगों हेतु सामग्री उपकरण के द्वारा सर्वेक्षण,चिकित्सा शिविरों, पोलियो अभियान एवं सहायता (ख) अपंग बालकों एवं बालिकाओं को शैक्षणिक सहायता (ग) उनके स्वालम्बन तथा स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए उपकरणात्मक /ट्रेड सहायता (घ) अपंग प्रशिक्षणार्थी छात्रावास तथा वृद्ध अपंगों के लिए भवन निर्माण,की स्कीम अथवा परियोजना को कर निर्धारण 2000-2001 के संबंध में एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए मात्र चौतीस लाख सतानबे हजार रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

(पोमिला बी0 प्रसाद)
निदेशक (रा0स0)

11026